



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232185
CG-DL-E-28122021-232185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5005]
No. 5005]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5396(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3055(अ), तारीख 2 सितम्बर 2020, भारत के राजपत्र सं० 2717 – तारीख 9 सितम्बर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील बासोदा जिला विदिशा राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 26 अगस्त 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी.लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील- बासोदा		जिला-विदिशा		राज्य- मध्यप्रदेश	
गांव का नाम	खसरा नं./ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	आरे.	वर्ग.मी.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
जरोद	71	00	03	52	
	72	00	10	20	
	80	00	12	84	
	81	00	10	04	
	50	00	03	25	
	82	00	14	46	
	91	00	09	75	
	93	00	11	28	
	94	00	01	69	
	95	00	01	68	
	96	00	05	51	
	97	00	04	37	
	100	00	04	69	
	98	00	14	41	
	40	00	01	37	
	106	00	01	46	
	107	00	09	33	
	108	00	06	72	

	27	00	09	00
	25	00	09	90
	22	00	00	41
	21	00	07	06
	12	00	08	74
	13	00	10	14
	16	00	09	44
	17	00	05	53
	18	00	00	13
अम्बानगर	39	00	15	73
	41	00	01	44
	40	00	01	30
	35	00	00	77
	36	00	41	85
	16	00	35	37
	12	00	08	23
	102	00	11	85
	101	00	11	52
	99	00	02	62
बीलाढाना	260	00	05	61
	257	00	03	11
	258	00	08	58
	259	00	09	69
	256	00	18	26
	250	00	10	37
	253	00	00	03
	249	00	22	87
	266	00	23	97
	268	00	17	78
	184	00	15	05
	183	00	05	13
	189	00	10	62
	180	00	11	30
	191	00	15	10
	193	00	23	00
	176	00	02	03

	114	00	04	32
	113	00	10	02
	117	00	06	00
	120	00	07	93
	121	00	01	48
	75	00	10	66
	73	00	25	09
	66	00	08	27
	67	00	05	34
	59	00	05	21
	58	00	20	27
बकेना (वीरन)	12	00	00	77
	13	00	13	94
	14	00	08	87
	10	00	27	17
	8	00	18	14
	6	00	12	81
	24	00	04	27
	23	00	07	52
मेहरा	410/1	00	07	01
	409	00	19	11
	408/1/2	00	07	31
	408/1/1	00	12	73
	391	00	06	19
	393/4	00	16	61
	393/3	00	04	43
	382/2	00	15	55
	382/1	00	04	12
	382/3	00	18	83
	381/2	00	00	90
	381/1	00	06	11
	380	00	15	19
	362/1/1	00	03	87
	362/1/2	00	03	16
	362/4	00	10	98
	354	00	12	63

	341	00	00	27
	338/4	00	05	72
	338/3	00	05	84
	339	00	16	93
	279	00	01	15
	335	00	16	69
	334	00	01	20
चक मसूदपुर	275	00	08	41
	262	00	23	38
	260	00	27	75
	232	00	06	80
	258	00	18	77
	233	00	17	16
	234	00	23	71
	217	00	02	46
	214	00	02	80
	212	00	37	51
	210	00	20	87
	124	00	05	35
	201	00	11	58
	197	00	20	57
	194	00	22	98
	191	00	18	93
	154	00	10	91
	156	00	02	25
	157	00	01	18
	158	00	15	22
	187	00	02	64
मसूदपुर	116	00	11	05
	117	00	04	00
	113	00	10	12
	112	00	12	93

[फा.सं.-आर 11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5396(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3055 (E) Dated 2 September 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 2717 dated 9 September 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas in tehsil Basoda District Vidisha In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 26 August 2021 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL : BASODA****DISTRICT: VIDISHA****STATE: MADHYA PRADESH**

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Area	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JAROD	71	00	03	52
	72	00	10	20
	80	00	12	84
	81	00	10	04
	50	00	03	25
	82	00	14	46
	91	00	09	75
	93	00	11	28
	94	00	01	69
	95	00	01	68
	96	00	05	51
	97	00	04	37
	100	00	04	69
	98	00	14	41
	40	00	01	37
	106	00	01	46
	107	00	09	33
	108	00	06	72
	27	00	09	00
	25	00	09	90

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Area	Sqm.
	22	00	00	41
	21	00	07	06
	12	00	08	74
	13	00	10	14
	16	00	09	44
	17	00	05	53
	18	00	00	13
AMBANAGAR	39	00	15	73
	41	00	01	44
	40	00	01	30
	35	00	00	77
	36	00	41	85
	16	00	35	37
	12	00	08	23
	102	00	11	85
	101	00	11	52
	99	00	02	62
VILADHANA	260	00	05	61
	257	00	03	11
	258	00	08	58
	259	00	09	69
	256	00	18	26
	250	00	10	37
	253	00	00	03
	249	00	22	87
	266	00	23	97
	268	00	17	78
	184	00	15	05
	183	00	05	13
	189	00	10	62
	180	00	11	30
	191	00	15	10
	176	00	02	03
	193	00	23	00
	114	00	04	32
	113	00	10	02
	117	00	06	00
	120	00	07	93
	121	00	01	48
	75	00	10	66
	73	00	25	09
	66	00	08	27
	67	00	05	34

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Area	Sqm.
	59	00	05	21
	58	00	20	27
BAKENA (VIRAN)	12	00	00	77
	13	00	13	94
	14	00	08	87
	10	00	27	17
	8	00	18	14
	6	00	12	81
	24	00	04	27
	23	00	07	52
MEHRA	410/1	00	07	01
	409	00	19	11
	408/1/2	00	07	31
	408/1/1	00	12	73
	391	00	06	19
	393/4	00	16	61
	393/3	00	04	43
	382/2	00	15	55
	382/1	00	04	12
	382/3	00	18	83
	381/2	00	00	90
	381/1	00	06	11
	380	00	15	19
	362/1/1	00	03	87
	362/1/2	00	03	16
	362/4	00	10	98
	354	00	12	63
	341	00	00	27
	338/4	00	05	72
	338/3	00	05	84
	339	00	16	93
	279	00	01	15
	335	00	16	69
	334	00	01	20
CHAK MASOODPUR	275	00	08	41
	262	00	23	38
	260	00	27	75
	232	00	06	80
	258	00	18	77
	233	00	17	16
	234	00	23	71
	217	00	02	46
	214	00	02	80

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Area	Sqm.
	212	00	37	51
	210	00	20	87
	124	00	05	35
	201	00	11	58
	197	00	20	57
	194	00	22	98
	191	00	18	93
	154	00	10	91
	156	00	02	25
	157	00	01	18
	158	00	15	22
	187	00	02	64
MASOODPUR	116	00	11	05
	117	00	04	00
	113	00	10	12
	112	00	12	93

[F.No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.